राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 863/2017

रामनिवास **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.06.2017
आदेश की दिनांक : 26.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2016 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि रिक्ति वर्ष 2008–09 के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक तथा रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति को निरस्त नहीं किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामसिंहपुरा पाटन, जिला सीकर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर वर्ष 1994 में हुई थी और आदेश दिनांक 08.06.2013 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर रिक्ति वर्ष 2008–09 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया और रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.09.2015 के द्वारा व्याख्याता के पद पर पदोन्नत कर कारंगा छोटा, फतेहपुर, जिला सीकर में पदस्थापित किया गया है। आदेश दिनांक 12.01.2016 के द्वारा विभाग द्वारा प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा पद की

रिव्यू डीपीसी की गई और अपीलार्थी का वर्ष 2015–16 में की गई व्याख्याता की पदोन्नति निरस्त कर दी गई। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई स्थायी कारण नहीं बताया गया और इस प्रकार विभाग द्वारा की गई पदोन्नति को बिना किसी कारण के निरस्त किया जाना नियम विरूद्ध है। प्रत्यर्थी विभाग का कहना है कि अपीलार्थी का नाम स्थायी वरिष्ठता सूची में अंकित नहीं है और वरिष्ठ अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 08.06.2013 द्वारा पदोन्नति की गई है, उसमें अपीलार्थी की वरिष्ठता क्रमांक मण्डल स्तर की वरिष्ठता सूची में 10287 है और व्याख्याता की पदोन्नति आदेश में भी अपीलार्थी की राज्य स्तरीय वरिष्ठता क्रमांक 2825 अंकित है। उसी आधार पर अपीलार्थी को पदोन्नत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त कृत्य के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 31/2016 दायर की। परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2016 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि रिक्ति वर्ष 2008–09 के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक तथा रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति को निरस्त नहीं किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के प्रावधानान्तर्गत वर्गवार रिक्तियों के प्रति द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर निर्मित पात्रता सूची में ही डीपीसी द्वारा किया जाता है। द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद की वर्ष 2008–09 तक की अवधि हेतु जारी स्थायी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नामांकन नहीं होने के कारण चयन वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से किया गया त्रुटिपूर्ण होने के कारण रिव्यू डीपीसी में निरस्त कर दिया गया। विभाग द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार एवं विधि सम्मत है। द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक की वर्ष 2008–09 की अवधि हेतु जारी स्थायी वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक 1490 पर श्री रामनिवास पुत्र श्री कन्हैया लाल वरिष्ठ अध्यापक का नाम दर्ज है। जबकि अपीलार्थी का नाम रामनिवास पुत्र श्री शिवपाल राम है और इस प्रकार वरिष्ठता क्रमांक 1490 पर भिन्न अन्य व्यक्ति का नाम अंकित है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामसिंहपुरा पाटन, जिला सीकर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर वर्ष 1994 में हुई थी और आदेश दिनांक 08.06.2013 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर रिक्ति वर्ष 2008–09 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया और रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.09.2015 के द्वारा व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया है। आदेश दिनांक 12.01.2016 के द्वारा विभाग द्वारा प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा पद की रिव्यू डीपीसी की गई और अपीलार्थी का वर्ष 2015–16 में की गई व्याख्याता की पदोन्नति निरस्त कर दी गई। जहां तक अपीलार्थी की पदोन्नति व्याख्याता के पद पर करने उपरांत उसकी पदोन्नति को निरस्त किए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में एक ही नाम के दो कार्मिक श्री रामनिवास पुत्र श्री कन्हैया लाल एवं श्री रामनिवास पुत्र श्री शिवपाल राम होने के कारण वरिष्ठता क्रमांक 1490 पर भिन्न अन्य व्यक्ति का नाम अंकित है। इस प्रकार अभिलेख में जो त्रुटि होने का मामला विभाग के समक्ष संज्ञान में आया है, ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को इस आदेश के जारी होने की दिनांक से दो सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त दोनों कार्मिकों की वरिष्ठता क्रमांक को ध्यान में रखते हुए उचित नियमानुसार मूल्यांकन कर राज्य सरकार के नियमों/परिपत्रों/दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दो माह में अभ्यावेदन का निस्तारण करें, जिसकी सम्यक सूचना अपीलार्थी को दी जावे।

अतः उपर्युक्त निर्देशों के साथ अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य